संख्या-3519/14-2-2014-800(120)/2014

प्रेषक,

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 31 अक्टूबर, 2014

विषय:- मैनपुरी में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) के किमी0 30 से 32 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम विघ्रई के गाटा संख्या-571 में विकसित किये जा रहे इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.074 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-669/11-सी-मैनपुरी दिनांक 21-10-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ0एन0 संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 व एफ0एन0 संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 21-08-2014 के आलोक में मैनपुरी में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) के किमी0 30 से 32 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम विघरई के गाटा संख्या-571 में विकसित किये जा रहे इंडियन ऑयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.074 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राष्टीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डड लाईन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।

(2) सडक के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra